नेशनल सीड्स कॉरपोरेशन लिमिटेड

(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिरत्न कम्पनी)

बीज भवन, पूसा परिसर

नई दिल्ली -110 012

dUnh; jkT; Qke] lfnkjx< ¼jkt-½

फैक्स-01509-238027

क्रमांकः – एन0एस0सी0/सर/कृषि/35/2021–22–   दिनांकः –05.02.2021

b& fufonk lpuk

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) के अधिकार में निम्नलिखित पक्की डिग्गीयों/जलाशयों को मछली पालने हेतु ई–निविदा नियम के अन्तर्गत 2 वर्ष 2021–22 व 2022–23 (दिनांक 01 अप्रेल 2021 से दिनांक 31 मार्च 2023 तक) की अवधि हेतु ठेके पर देने का प्रस्ताव है । ई–निविदाएं दिनांक 22.02.2021 को सांय 5.00 बजे तक भरी जा सकती है जो दिनांक 23.02.2021 को प्रातः 11 बजे फार्म मुख्यालय सरदारगढ़ में खुलेगी। विस्तृत जानकारी के लिये निगम की वेबसाइट www.indiaseeds.com पर तथा ई–पोर्टल **http//indiaseeds.eproc.in** पर देखी जा सकती है, जिस पर निविदादाता का पंजीकरण होना अनिवार्य है।

सहायक प्रबंधक (उत्पादन)

Particulars	Details
Date of issue of NIT	05.02.2021
Tender Document Download Start Date/Time Tender Document Download End Date/Time	06.02.2021 11.00 AM 22.02.2021 5.00 PM
Date and time for submission of online bid	From 06.02.2021 11.10 AM 22.02.2021 5.00 PM
Date and time of opening of Technical/Financial bid in online mode at NSC, HQ Sardargarh	23.02.2021 on 11:00 AM
Tender Fee (to be deposited online/RTGS/NEFT)	Rs. 236.00 (Rs. 200+18% GST)
Tender Fee (to be deposited online/RTGS/NEFT/DD) refer point no. 01 & 2 of T&C	Rs. 20000.00 per diggi.
Address for communication	Director, National Seeds Corporation Limited, Central State Farm, Sardargarh (Raj.)
Contact Person (with Phone No. & Email)	Ajeet Kumar Pandey, AM(P)- 7839305504

INSTRUCTIONS TO BIDDER – ONLINE MODE

DEFINITIONS:

- **C1 India Private Limited:** Service provider to provide the e-Tendering Software.
- **NSCL e-Procurement Portal:** An e-tendering portal of National Seeds Corporation Limited ("NSCL") introduced for the process of e-tendering which can be accessed on https://indiaseeds.eproc.in.

I. ACCESSING / PURCHASING OF BID DOCUMENTS :

- It is mandatory for all the bidders to have Class-III Digital Signature Certificate (With Both DSC Components, i.e. Signing & Encryption) from any of the licensed Certifying Agency under CCA, Ministry of Electronics and Information Technology, Government of India to participate in e-tendering portal of NSCL. Bidders can see the list of licensed CA's from the link www.cca.gov.in C1 India Pvt. Ltd. also facilitate Class III Digital Signature Certificate (With Both DSC Components, i.e. Signing & Encryption) to the bidders. Bidder may contact C1 India Pvt. Ltd. at mobile no. +91-8130606629 for DSC related queries or can email at vikas.kumar@c1india.com

- To participate in the e-bid, it is mandatory for the Applicants to get themselves registered with the NSCL e-Tendering Portal (https://indiaseeds.eproc.in) to have a user ID & Password which has to be obtained by submitting a non-refundable annual registration charges of Rs. 3416/- inclusive of all taxes through **online** mode. Validity of Registration is 1 year.

- The amendments / clarifications to the tender, if any, will be posted on the NSCL e-Tendering Portal (https://indiaseeds.eproc.in).

- To participate in bidding, bidders have to pay EMD (refundable) as per the amount mentioned in the tender document online through NEFT/RTGS after generating E-challan from https://indiaseeds.eproc.in.

- To participate in bidding, bidders have to pay Tender Processing Fee of Rs. 570/- inclusive of all taxes (Non-refundable) through online mode (internet banking/debit card/credit card).

- The Bidder may modify or withdraw their bid after submission prior to the Bid Due Date. No Bid shall be modified or withdrawn by the Bidder after the Bid Due Date and Time.

- Both 'EMD' and 'Tender Document Fee' are mentioned in individual tender document as published at NSCL e-Tendering Portal (https://indiaseeds.eproc.in).

- For helpdesk, please contact e-Tendering Cell and Help Desk Support MondaytoFriday Ph: **0124-4302033/36/37, nsclsupport@c1india.com.**

- It is highly recommended that the bidders should not to wait till the last date of bid submission to avoid complications like internet connectivity issue, network problems, system crash down, power failure, browser compatibility issue, system compatibility issue, improper digital signature certificate problem etc. In view of this context, neither M/s National Seeds Corporation Limited nor M/s. C1 India Pvt. Ltd will be responsible for such eventualities.

Check list for Technical Requirement of Tender

Particulars	Details
Copy of GST Registration	
Copy of Pan Card	
Copy of Aadhar Card	
Undertaking regarding non- blacklisting of his firm from any department.	
Terms & Conditions of fish catching duly signed Note : Each page of T&C should be signed by tenderer	

jk"V'h; cht fuxe fyfeVM

¼Hkkjr ljdkj dk lLFkku)

dUnh; jkT; Qke] ljnkjx< ¼jkt-½

Qkel es iDdh fMXxh es eNyh ikyu o cpu d fy, bl&fufonk gr fu;e o 'kr

1. केन्द्रीय राज्य फार्म सरदारगढ के अधिकार में उपलब्ध निम्न लिखित जलाशयों में मछली पालने व बेचने हेतु ठेका न0 1 से 7 तक का 2 वर्ष की अवधि दिनांक 01 अप्रेल 2021 से दिनांक 31 मार्च 2023 तक का ठेका निश्चित किया गया है जलाशयों का विवरण निम्न प्रकार है।

ठेका न0	जलाशय का प्रकार	ब्लॉक/चक संख्या	जलाशय का आकार लम्बाई x चौड़ाई x गहराइ	जलाशयों की संख्या	धरोहर राशि रूपयों में (अंको व शब्दों में)
1	पक्की डिग्गी	40 पी बी एन	100 x 100 x 4.5 मीटर	01	रू0 20,000.00 (रू0बीस हजार मात्र)
2	पक्की डिग्गी	42 पी बी एन	250 x 100 x 4.5 मीटर	01	रू0 20,000.00 (रू0बीस हजार मात्र)
3	पक्की डिग्गी	44 पी बी एन	50 x 50 x 4.5 मीटर	02	रू0 20,000.00 (रू0बीस हजार मात्र) दोनो डिग्गीयों के लिए।
4	पक्की डिग्गी	44 पी बी एन	100 x 50 x 4.5 मीटर	01	रू0 20,000.00 (रू0बीस हजार मात्र)
5	पक्की डिग्गी	45 पी बी एन	150 x 100 x 4.5 मीटर	01	रू0 20,000.00 (रू0बीस हजार मात्र)
6	पक्की डिग्गी	49 ए पी बी एन	250 x 250 x 4.5 मीटर	01	रू0 20,000.00 (रू0बीस हजार मात्र)
7	पक्की डिग्गी	39 पी बी एन	100 x 50 x 4.5 मीटर	01	रू0 20,000.00 (रू0बीस हजार मात्र)

2. प्रत्येक ठेके के लिये निर्धारित धरोहर राशि का डी0 डी0 जो ***u'kuy lhM l dkjikj'ku fyfeVM] ljnkjx< d uke l] lrx<** देय हो, निविदा के साथ संलग्न करना होगा । धरोहर राशि, कार्य सन्तोषजनक पूरा होने के बाद बिना ब्याज के लौटा दी जाएगी।
3. धरोहर राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट या **RTGS/NEFT** द्वारा जमा की गयी राशि निविदा में निश्चित धरोहर राशि से कम जमा कराया जाता है तो निविदा को निरस्त कर दिया जायेगा।
4. निविदादाता को निविदा जमा कराने के पश्चात् उसे वापस लेने या दरों में संशोधन करने का अधिकार नहीं होगा।
5. मछली पालन का कार्य ठेका न01 से 7 तक की अवधि 2 वर्ष (दिनांक 01 अप्रेल 2021 से दिनांक 31 मार्च 2023 तक) के लिए दिया जायेगा। अन्तिम तिथि के पश्चात ठेकेदार का सम्बन्धित जलाशय/जलाशयों पर कोई अधिकार नहीं होगा।
6. ठेका न0 1 से 7 तक सफल बोलीदाता/निविदादाता की निविदा स्वीकृत होते ही स्वीकृत राशि की 25 प्रतिशत राशि 7 दिवस के अन्दर जमा करानी होगी, 50 प्रतिशत अगले 30 दिवस मेंतथा शेष बची राशि 60 दिवस के अन्दर जमा करानी होगी। सफल निविदादाता/बोलीदाता द्वारा प्रथम चौथाई राशि जमा कराने के बाद अन्य निविदादाताओं की अमानत राशि बिना ब्याज के लौटाई जायेगी।
7. सफल निविदा/बोलीदाता को निविदा राशि का 10 प्रतिशत की दर से प्रतिभूति राशि 15 दिवस में जमा करानी होगी जो कि ठेका समाप्त होने पर सम्बन्धित अधिकारी की संस्तुति पर बिना ब्याज वापिस कर दी जायेगी।
8. सफल निविदा/बोलीदाता द्वारा ठेका किसी अन्य ठेकेदार को हस्तांतरित नहीं किया जायेगा।
9. निविदादाता द्वारा दी गई सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी।
10. निविदा खोलने के बाद किसी प्रकार की निविदा एवम् फैक्स व पत्र/ईमेल मान्य नहीं होगा।
11. ठेकेदार द्वारा मछली पकड़ने/रखवाली करने के लिए जो आदमी लगाये जाएंगे उनकी सूची पते व मोबाइल नं0 सहित इस कार्यालय को देनी होगी। इस कार्यालय द्वारा सामयिक

आज्ञा–पत्र जारी किया जाएगा। आज्ञा–पत्र के बिना कोई भी व्यक्ति फार्म में मछली पकडने हेतु दाखिल नही होगा।

12. डिग्गियों में मछली का बीज डालने, पालन–पोषण, उसकी समस्त देखभाल करने तथा सुरक्षा करने व अन्य समस्त कार्यों की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी।
13. ठेकेदार को मात्र ठेके पर दिये गये जलाशयों / तलाबों से ही मछली पकड़ने का अधिकार होगा। फार्म में अन्यत्र असम्बन्धित गतिविधियां,कार्यकलापों में व्यवधान / हस्तक्षेप,आग जलाना,मवेशी पालना,कोई निर्माण कार्य या फार्म के संसाधन का अनाधिकृत प्रयोग आदि समस्त कार्य जो भी उसके ठेके से सम्बन्धित न हो उनमें परोक्ष या अपरोक्ष रूप से संलिप्त होने का अधिकार नही होगा। ऐसी गतिविधियों में संलिप्त पाये जाने पर फार्म प्राधिकारी द्वारा निश्चित किया गया जुर्माना अदा करना होगा तथा / अथवा उसका ठेका निरस्त कर उसका फार्म में प्रवेश निषेध किया जा सकता है तथा इस दशा में उसकी समस्त जमा राशियां जब्त कर ली जायेगीं।
14. यदि मछली पकडने पर टैक्स / चूँगी या कोई भी कर, परमिट आदि लागू होगा तो उसका प्रबन्ध / भुगतान ठेकेदार को स्वंय ही अपने खर्च पर करना होगा।
15. डिग्गीयों में पानी की व्यवस्था फार्म द्वारा की जायेगी किन्तु साधारणतयः डिग्गीयों में संचयित पानी में से ऊपर से लगभग 11 फीट स्तर तक का पानी फसल उत्पादन के लिए प्रयोग में लाया जाता रहेगाा। शेष बचा हुआ पानी 4 फीट स्तर तक डिग्गी में पानी मछली उत्पादन के लिए बना रहेगा किन्तु नहर बन्दी अथवा नाली फ्लड समय पर न आने से डिग्गी में पानी का स्तर यदि 4 फीट से कम होता है तो इसके लिए फार्म प्रशासन की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी व मछली पकड़ने का कार्य डिग्गी में पानी कम होने पर ही किया जायेगा।
16. ठेकेदार को ठेके पर दिये गये जलाशयों में पानी की सतह कम या अधिक होने या सूख जाने के कारण मछली न होने या न पकड़ सकने के कारण तथा अन्य किसी प्राकृतिक व अप्राकृतिक कारणों से होने वाले नुकसान आदि के लिये किसी प्रकार का हर्जाना अथवा मुआवजा या छूट प्राप्त करने हेतु किसी न्यायलय में दावा आदि करने का अधिकार नहीं होगा।
17. मतस्य बीज संग्रहण,मछली पालन एवम पकड़ना,मछली फार्म से बाहर ले जाना इत्यादि सभी कार्य दिन के उजाले में ही करने होगें। रात्रि में मात्र मछलियों की सुरक्षा हेतु प्रतिनिधि रखने का अनुरोध सक्षम अधिकारी के अनुमोदन के उपरान्त ही स्वीकार किया जा सकता है।
18. किसी भी वाहन द्वारा मछली की ढुलाई करने हेतु फार्म के सम्बन्धित अधिकारी का गेट पास अनिवार्य होगा।
19. मछली पकडने के लिए जाल की व्यवस्था तथा इन्हें लाने ले जाने के लिए परिवहन का प्रबन्ध ठेकेदार को करना होगा।
20. ठेके की अवधि के दौरान ठेकेदार अथवा उसके कामगारों द्वारा फार्म की किसी भी चल / अचल सम्पति तथा फसलों को नुकसान किया तो उसकी भरपाई ठेकेदार से की जायेगी तथा उसका ठेका रद्द कर दिया जायेगा।
21. ठेकेदार को मतस्य विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों की पालना करनी होगी तथा निविदादाता को राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान मीन अधिनियम 1953 व 1958 तथा समय समय पर संशोधित नियमों के अन्तर्गत बनायी गयी सभी धाराओं व नियमों के अनुसार कार्य करना पडेगा।
22. ठेकेदार या उसके प्रतिनिधि द्वारा फार्म में किसी प्रकार का शिकार या जंगली जानवरों को मारने,घायल करने या परेशान करने का कार्य निषिद्ध है।ऐसा करने पर वे स्वंय जिम्मेदार होगें तथा कानून के अनुसार दण्ड के भागी होगें।
23. ठेकेदार द्वारा फार्म के नियम व शर्तों की पालना नहीं करने पर उसका ठेका रद्द कर दिया जायेगा। तथा ठेकेदार की धरोहर राशि व अन्य जमा राशि जब्त कर ली जायेगी।
24. निविदा / बोलीदाता द्वारा अपने पहचान पत्र / राशन कार्ड तथा पैन कार्ड की छाया प्रति संलग्न करनी होगी। अपूर्ण पते के अभाव मे यदि कोई पत्र आदि सूचना निविदा / बोलीदाता के पास नहीं पहुंचती है तो फार्म की जिम्मेवारी नहीं होगी।
25. फार्म अधिकारी को निविदा / निलामी को बिना कारण बताये अस्वीकृत / निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा।

26. यदि ठेकेदार का आचरण उचित न हो या फार्म के हित में न हो तथा उसे बार बार चेतावनी देने पर भी वह ठेके की शर्तों का पालन न करता हो तब ऐसी दशा में फार्म प्राधिकारी को अधिकार होगा कि ठेके की शर्त संख्या 23 के अनुसार ठेका निरस्त कर ठेकेदार को निश्चित अवधि के लिये ब्लैकलिस्ट कर निगम के फार्मों पर ठेके लेने के अयोग्य घोषित कर दिया जायेगा।

27. विलम्ब से जमा की जाने वाली राशि पर 18 प्रतिशत की दर से अधिकतम एक माह तक के लिए ब्याज सहित पूर्ण रकम जमा करने का समय होगा। निर्धारित समय सीमा तक राशि जमा न करने पर समस्त जमा राशि (मय धरोहर राशि) को जब्त कर ठेका निरस्त कर दिया जायेगा। इसके बाद पुनः निविदा/निलामी में यदि कम निविदा दर आने पर नुकसान होता है तो उसकी ठेकेदार से भरपाई की जायेगी।

28. रू.100/– के स्टाम्प पर नियम व शर्तों का अनुबन्ध मय दो गवाहों के हस्ताक्षर व पूर्ण पते के साथ देना होगा।

29. यदि किसी भी पद या मामले में एन.एस.सी. और दूसरे पक्ष के बीच कोई विवाद उत्पन्न होता है तो दोनो पक्ष आपसी समझ और चर्चा के माध्यम से इसे हल करने का विकल्प चुनेंगे। यदि चर्चा के बाद भी विवाद बना रहता है तो मध्यस्थता और सुलह अधिनियम 1996 के प्रावधान के तहत मुद्दों को हल करने के लिये पार्टियों पर बाध्यकारी होगा। इस प्रावधान के तहत अध्यक्ष सह प्रबन्ध निदेशक, एन.एस.सी. दोनो पक्षों की सहमति से मुद्दे को हल करने के लिये एक मध्यस्थ नियुक्त करेगा और दोनो पक्षों को निर्णय का पालन करना होगा। दोनों पक्ष न्यायालय में जाने से पहले मध्यस्थता के माध्यम से विवाद को हल करने के लिये बाध्य होंगे। मध्यस्थता नई दिल्ली में और अंग्रेजी भाषा में आयोजित की जायेगी। न्यायालय क्षेत्र दिल्ली होगा।

?kks"k.kk&

मैनें फार्म में मछली ठेके की ई–निविदा की शर्तें पढ़ ली है। उक्त सभी शर्तें मुझे मान्य है तथा हस्ताक्षर मैनें अपनी रजामन्दी से,बिना किसी दबाव के पूर्ण होशोहवास मे किये हैं। मेरे द्वारा सभी शर्तें स्वीकार की गई हैं तथा यह शर्तें केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ के साथ मेरे द्वारा किये गये अनुबन्ध का भाग मानी जायेगी।

निविदा/बोलीदाता के हस्ताक्षर

स्थान...................... दिनांक..

राष्ट्रीय बीज निगम लिमिटेड
(भारत सरकार का उपक्रम- मिनिरत्न कम्पनी)
बीज भवन, पूसा परिसर
नई दिल्ली -110 012।
फैक्स- 011- 25846462
dUnh; jkT; Qke] lJnkjx< ¼jkt-½
फैक्स-01509-238027

NATIONAL SEEDS CORPORATION LIMITED
(A Government of India Undertaking)
(CIN : U74899DL1963PLC003913)
BEEJ BHAWAN, PUSA COMPLEX
NEW DELHI-110 012 (INDIA)
Website: www.indiaseeds.com
PHONES : 25842383, 25846272, 25842692, 25846295
e-mail – nsc@indiaseeds.com
CENTRAL STATE FARM, SARDARGARH
PHONES: (01509-238027, 238296 (Office)
Tele – Fax :- 01509-238027
e-mail – directorcsfsrg@gmail.com,agricsfsrg@gmail.com

dUnh; jkT; Qke] lJnkjx<

fufonk i=

निविदा विज्ञप्ति क्रमांक सी.एस.एफ./सर./35/कृषि/2021–22 दिनांक ....

निविदा भेजने हेतु पताः– निदेशक (फार्म)
केन्द्रीय राज्य फार्म,सरदारगढ
जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान)

निविदा खोलने की दिनांकः– 23.02.2021 स्थानः– केन्द्रीय राज्य फार्म,सरदारगढ

विषयः– केन्द्रीय राज्य फार्म,सरदारगढ़, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) के अधिकार में उपरोक्त निविदा विज्ञप्ति में सन्दर्भित निम्नलिखित जलाशयों/कच्ची/ पक्की डिग्गीयों को मछली पालने व बेचने हेतु ठेका न0 1 से 7 तक के लिए 2 वर्ष की अवधि दिनांक 01 अप्रेल 2021 से दिनांक 31 मार्च 2023 तक के लिये ठेके पर लेने हेतु निविदा प्रपत्र।

1. निविदादाता का नाम :–..
2. पिता/पति का नाम :–..
3. पूरा पता :–..
....
....
4. दूरभाष/मो0 नम्बर :–...
5. पैन नम्बर :–......................................(प्रतिलिपि संलग्न करें)
6. पहचान पत्र नम्बर(वोटर आई डी,आधार कार्ड आदि)...................................... (प्रतिलिपि संलग्न करें)
7. निविदा शुल्क(रू.236/–) रसीद संख्या.......................दिनांक.........................अथवा डिमाण्ड ड्राफ्ट संख्या..दिनांक..........................

fufonk jkf'k iLrko¼V.Mj vkQj)

केन्द्रीय राज्य फार्म, सरदारगढ, जिला श्रीगंगानगर (राजस्थान) के अधिकार में सन्दर्भित निम्नलिखित जलाशयों/कच्ची/ पक्की डिग्गीयों को मछली पालने व बेचने हेतु ठेका न0 1 से 7 तक के लिए 2 वर्ष की अवधि दिनांक 01 अप्रेल 2021 से दिनांक 31 मार्च 2023 तक के लिये ठेके पर लेने हेतु दर निम्न विवरण अनुसार प्रस्तुत है।

क्रमशः2

ठेका न0	जलाशय का प्रकार	ब्लॉक/चक संख्या	जलाशय का आकार लम्बाई x चौड़ाई x गहराइ	जलाशयों की संख्या	ठेका अनुसार निविदा मुल्य प्रस्ताव (Tender Offer) (रूपयों में)
1	पक्की डिग्गी	40 पी बी एन	100 x 100 x 4.5 मीटर	01	
2	पक्की डिग्गी	42 पी बी एन	250 x 100 x 4.5 मीटर	01	
3	पक्की डिग्गी	44 पी बी एन	50 x 50 x 4.5 मीटर	02	
4	पक्की डिग्गी	44 पी बी एन	100 x 50 x 4.5 मीटर	01	
5	पक्की डिग्गी	45 पी बी एन	150 x 100 x 4.5 मीटर	01	
6	पक्की डिग्गी	49 ए पी बी एन	250 x 250 x 4.5 मीटर	01	
7	पक्की डिग्गी	39 पी बी एन	100 x 50 x 4.5 मीटर	01	

/kjkgj jkf'k dk fooj.k%&

निविदा विज्ञप्ति के अनुसार जमा किये गये/किये जाने वाली राशि का विवरणः–

ठेका नम्बर	बैंक ड्राफ्ट न0एवं दिनांक	जारी करने वाले बैंक का नाम एवं शाखा का पता	धरोहर राशि रूपयों में (अकों व शब्दों में)
1			रू0 20,000.00 (रू0बीस हजार मात्र)
2			रू0 20,000.00 (रू0बीस हजार मात्र)
3			रू0 20,000.00 (रू0बीस हजार मात्र) दोनो डिग्गीयों के लिए।
4			रू0 20,000.00 (रू0बीस हजार मात्र)
5			रू0 20,000.00 (रू0बीस हजार मात्र)
6			रू0 20,000 (रू0बीस हजार मात्र)
7			रू0 20,000 (रू0बीस हजार मात्र)

(mijkDr fMek.M Mk¶V layXu fd;s tk;s)

मैं/हम यह प्रमाणित करता हूँ/करते हैं कि उपरोक्त निविदा की सभी शर्तें पढ़ व समझ ली है। मुझे/हमें सभी शर्तें मान्य है।शर्तों की प्रतिलिपि पर हस्ताक्षर कर तथा संलग्न कर पूर्ण सहमति से निविदा प्रेषित हैं।

निविदादाता के हस्ताक्षर
(नाम व पूरा पता)

....

....

....

....

मो0 न0...